



उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ - 226001
दूरभाष : पी0बी0एक्स0 26225439, 2622363, 2628461
फैक्स : - 0522-2615526, 2628841, 2623573

पत्र सं0-220एलडब्ल्यू0ओ / 12 / 2 एलडब्ल्यूओ / 11

दिनांक: 14 सितम्बर, 2012

सेवा में,

1-अध्यक्ष, परि0नि0कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा, लखनऊ।
प्र0कार्या0: यू0पी0 रोडवेज इम्पलाइज यूनियन,
आलमबाग बस स्टेशन, लखनऊ

2-महासचिव, परि0नि0कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा, लखनऊ।
प्र0कार्या0: रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद, उ0प्र0
बस स्टेशन चारबाग, लखनऊ-226019

विषय:-कर्मचारियों की लम्बित समस्याओं एवं सम्पन्न त्रिपक्षीय समझौता बिन्दुओं के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु की गयी वार्ता विषयक।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि महासचिव, परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पत्र सं0-02-मांगपत्र/2012 दिनांक 16.08.2012 के संदर्भ में प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में प्रबन्धन एवं आपके मोर्चे के प्रतिनिधि मण्डल से, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ में दिनांक 03.09.2012 को मांग बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा हुई तथा उक्त पर कृत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत होते हुए, अवशेष मांगों के विषय पर निम्नवत अग्रेतर कार्यवाही हेतु सहमति बनी है:-

1. निगम स्तरीय मांग बिन्दु सं0-2 यथा छठे वेतनमानों का जनवरी, 2006 से 12 जनवरी, 2010 तक का वेतन अन्तर अवशेष, डी0ए0एरियर आदि के भुगतान एवं बिन्दु सं0-7(4) लम्बित बोनस के भुगतान आदि विषय पर पूर्व गठित समिति द्वारा परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति के सापेक्ष एक विस्तृत कार्य योजना एक माह के अन्दर प्रस्तुत की जायेगी जिसे यथा वांछित निदेशक मण्डल/शासन की स्वीकृति व अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
2. निगम स्तरीय मांग बिन्दु सं0-3(क) यथा राजकीय रोडवेज काल के नान पेंशनेबुल पदों पर नियुक्त और 27 अगस्त, 1982 के बाद पेंशनेबुल पदों पर प्रोन्नत कर्मचारियों को पेंशन दिये जाने के प्रकरण में नवागन्तुक अपर प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में समिति की बैठक यथा शीघ्र की जायेगी तदोपरान्त समिति की संस्तुतियों को निदेशक मण्डल के समक्ष निर्णय हेतु रखा जायेगा।
3. निगम स्तरीय मांग बिन्दु सं0-3(ख) यथा दिनांक 18.06.1981 की बाध्यता समाप्त करते हुए निगम में पेंशनेबुल पदों पर नियुक्त समस्त कार्मिकों को पेंशन सुविधा अनुमन्य किये जाने के प्रकरण पर क्रम सं0-2 में उल्लिखित कार्यवाही के पश्चात विचार करने की सहमति बनी।
4. निगम स्तरीय मांग बिन्दु सं0-9 यथा ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू करने के विषय पर यथा आवश्यक मार्ग दर्शन हेतु, उक्त के लिये गठित समिति द्वारा प्रथम चरण में, चालक/परिचालक संवर्ग के प्रकरण का परीक्षण किया जायेगा तथा क्षेत्रों/इकाईयों को यथा वांछित मार्ग दर्शन 15 दिनों के अन्दर प्रेषित कर दिये जायेंगे।
5. निगम स्तरीय मांग बिन्दु सं0-10(क) सामूहिक बीमा योजना के हित लाभ/क्लेम्स के निपटारे हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम के सक्षम प्राधिकारी एवं प्रबन्ध निदेशक के मध्य यथाशीघ्र बैठक की जायेगी।

6. बैठक में यह भी सहमति बनी कि जिन मांग बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्यवाही हेतु अगली बैठकों में चर्चा की जानी है केवल उन्ही मांग बिन्दुओं की एक सूची तैयार कर ली जाय।
- 7- बैठक में, प्रबन्ध निदेशक द्वारा निगम के नियमित कर्मचारी एवं निविदा पर कार्यरत कार्मिकों से सम्बन्धित सेवा, प्रोत्साहन, प्रोन्नति, संचालन आदि विषयक निम्न नीतिगत प्रशासनिक व वित्तीय निर्णयदेश को निगम वेबसाइट www.upsrtc.com पर "इम्पलाइ कार्नर" (employee corner) नामक लिंक बनाकर सम्बन्धित के उपयोगार्थ दिशित करने के निर्देश दिये गये तथा सभी शाखाधिकारियों को उक्त की प्रतियां निगम के सम्बन्धित प्रान्त प्राप्त श्रमिक संगठनों को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये हैं।
- कृपया उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति से अवगत होना चाहें।

भवदीय,

(जे०एन० सिन्हा)

प्रधान प्रबन्धक(श्रम कल्याण)

- प्रतिलिपि—(1) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
(2) अपर प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
(3) वित्त नियंत्रक, उ०प्र०परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
(4) मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रशासन/संचालन/प्राविधिक) उ०प्र०परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
(5) समस्त प्रधान प्रबन्धक, उ०प्र०परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।

प्रधान प्रबन्धक(श्रम कल्याण)